6020/12/9/18

संख्या : 15834/आठ–1–18–70बैठक/2017

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

3. **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक 12 सितम्बर, 2018**

विषयः उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–4982/9–आ–1–99–74बैठक/99, दिनांक 17 दिसम्बर, 1999 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यावसायिक भूखण्डों/भवनों के आवंटन में भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रितों हेतु 03 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

2– उल्लेखनीय है कि रिट (पीआईएल) संख्या–59466/2016 सतीश चन्द्र सोलंकी व चन्द्रभूषण यादव बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 एवं अवमानना याचिका संख्या–830/2018 सतीश चन्द्र सोलंकी बनाम श्री राजीव कुमार, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन में पारित आदेश दिनांक 13 मार्च, 2018 के अनुपालन में समयक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 17 दिसम्बर, 1999 के प्रस्तर–1 में उल्लिखित बिन्दु–7 में भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित हेतु निर्धारित 03 प्रतिशत आरक्षण में भूतपूर्व केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कार्मिकों को भी सम्मिलित करते हुए भूतपूर्व केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कार्मिकों व उनके आश्रितों को भी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में तद्नुसार क्षैतिज आरक्षण दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार भूतपूर्व केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल हेतु की गयी उक्त व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

AD (S)
12/09/2018

भवदीय,
/
(राजेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

E:/Awas-1/Yadav//G.O.18

संख्याः–1583 (1)/आठ–1–18, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0 प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने से संबंधित को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।
2. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।
3. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि समस्त संबंधितों को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।
4. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

E:/Awas-1/Yadav//G.O.18